UPMT010049582026

न्यायालयः-सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2420/2026
भूरा उर्फ गौरव एवं आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–179/2026, धारा–191(2),191(3),190,109(1), 115(2),351(2),61(2) बी०एन०एस०, थाना–बरसाना, जिला मथुरा के अभियुक्तगण **भूरा उर्फ गौरव, हेमन्त, नितेश एवं आशू उर्फ छैलबिहारी** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती डौली शर्मा द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसका पति सौरव (कटिंग) पिता भगवानदास सुबह पांच बजे मन्दिर के लिये निकले थे तभी वादिनी के भाई और ताऊ और ताऊ के लड़को ने मिलकर उनके हथौड़ा, सरिया, कुल्हाड़ी से मार डालने की कोशिश की है। वादिनी का भाई भूरा उर्फ गौरव, हेमन्त, नितेश, आसु उर्फ छैलबिहारी, विकास, योगेश ताऊ फोन,पैसे व चैन सब ले गये है। वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। उक्त घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वादिया द्वारा वर्तमान केस में उसके पति से फोन, पैसे व चैन सब ले लिये जाने का आरोप लगाते हुये उक्त मुकदमें में फर्जी तरीके से डकैती कायम करायी गयी। वादिया द्वारा विवेचक को दिये गये अपने बयान में वादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाये गये हथियारों में परिवर्तन करते हुये अभियुक्तगण द्वारा सौरभ के साथ लाठी, डण्डों व सरिया से मारपीट करने का आरोप लगाया और हथौड़ा व कुल्हाड़ी से मारपीट किये जाने के कथन को झुठला दिया। साथ ही वादिया ने विवेचक को दिये बयान में डकैती की कहानी को भी झुठलाया। वादिया द्वारा घटना को हेतुक वादिया व सौरभ गोस्वामी के बीच सम्पन्न हुआ अगस्त 2025 में सौरभ के साथ प्रेमविवाह किया था, जिसको इस समय करीब 10 माह पूर्ण हो चुके है। इन 10 माह के दौरान अभियुक्तगण की ओर से वादिया या उसके पति के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है, जो प्राथमिक तौर पर यह दर्शाती है कि वादिया द्वारा किये गये प्रेमविवाह से अभियुक्त पक्ष को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। स्वीकार्य रूप से वादिया के पति व ससुर व अभियुक्तगण मंदिर ठा० श्री लाडली जी महाराज विराजमान बरसाना के सेवायत है और सेवा के चलते दोनों के बीच विवाद व मनमुटाव है जिसके सम्बन्ध में थाना बरसाना पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा–129/125 बी०एन०एस०एस– के अन्तर्गत कार्यवाही भी की गयी है। उक्त मामले में सहअभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व सजायाफ्ता है। अभियुक्तगण उक्त मामले में दिनांक–24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी मुकदमा की ओर से प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति को जान से मारने की नीयत से हथौड़ा व सरिया आदि घातक आयुधों से मीरपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

अभियुक्तगण की तरफ से बहस की गयी कि चोटें गंभीर प्रकृति की दर्शायी गयी है लेकिन कोई चोट प्राणघातक नहीं है जैसा की सप्लीमेट्री मेडिकल रिपोर्ट में दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लूट की घटना भी दिखायी गयी है लेकिन विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण घटना में शामिल नहीं थे और झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त मामले में अभियुक्त दिनांक–24.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त मामले में सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क. आवेदक/अभियुक्तगण किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होंगे,

ख. आवेदक/अभियुक्तगण प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेंगे,

ग. आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे,

घ. आवेदक/अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे,

ड़. आवेदक/अभियुक्तगण आरोप विचरित किए जाने, धारा–313 दं०प्र०सं० के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल **districtailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्तगण के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–14.07.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
मथुरा।